अध्याय – IV
वोडाफोन इंडिया लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व

4.1 मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड की संक्षिप्त रूपरेखा

ब्राण्ड वोडाफोन को भारत में 2007 में प्रारम्भ किया गया जब वोडाफोन पी.एल.सी., इग्लैंड की एक बहुराष्ट्रीय दूरंसचार कंपनी ने मैसर्स हच्चिसन एस्सार के बहुमतीय दावे को हासिल कर लिया जो कि पूरे देश के •सोलह[1] लाइसेन्सयुक्त सेवा क्षेत्रों में जीएसएम आधारित सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदान करती थी। दूरसंचार क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश (एफडीआई) को 74 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये 2005 में भारत सरकार के निर्णय ने इस ब्रिटिश कम्पनी की भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एक मुख्य खिलाड़ी के रूप में उभरने में सहायता की। 2007–08 तक प्रचालक को •सात[2] और लाइसेंस आबंटित कर दिये गये थे तथा जिसने पूरे देश में मौजूद सभी तेईस लाइसेंसयुक्त सेवा क्षेत्रों (ला से क्षे) में प्रचालन के साथ कम्पनी की मौजूदगी स्थापित की। वोडाफोन इण्डिया वायरलैस मोबाइल टेलीफोन सेवायें प्रदान करता है जिसमें वायस/डाटा और सभी उच्च गुणवत्ता के दूरसंचार समाधान सम्मिलित है।

4.1.1 वोडाफोन ग्रुप द्वारा लिये गये लाइसेंस

23 सेवा क्षेत्रों में सेवा लाइसेंस एक्सेस के अतिरिक्त वोडाफोन ग्रुप में कैरिएज लाइसेंस अर्थात नेशनल लांग डिस्टेंस (एनएलडी) अर्न्तराष्ट्रीय लांग डिस्टेंस (आईएलडी) और इन्टरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस (आईएसपी) है।

मुम्बई व इसके सात सहायक कम्पनियों[3] में वोडाफोन इंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती वोडाफोन इस्सार लिमिटेड) को मुख्य कारपोरेट कार्यालय के संरक्षण के अन्तर्गत ला से क्षे/परिमंडल अनुसार सम्बन्धित लेखांकन गतिविधियां की जाती है।

4.1.2 वोडाफोन द्वारा लिये गये रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम

सभी वोडाफोन ग्रुप कम्पनियां जीएसएम प्रचालक हैं। 31 मार्च 2010 को उनको आबंटित स्पेक्ट्रम की ला से क्षे अनुसार मात्रा निम्नानुसार है।

---

1 मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, राजस्थान, उ प्र (पूर्व), हरियाणा, पंजाब, उ प्र (प), पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल,महाराष्ट्र

2 उड़ीसा, बिहार, उ पू, असम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश

3 वोडाफोन एस्सार सेल्युलर लिमिटेड, वोडाफोन डिजिलिकं लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार मोबाइल, सर्विस लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार साउथ लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमिटेड

तालिका 4.1

क्रम	स्पेक्ट्रम (मेगा हर्टज में)	ला से क्षे का नाम
1	2 × 10	दिल्ली– मुम्बई
2	2 × 9.8	गुजरात–कोलकाता
3	2 × 8.2	यू.पी (पूर्व)
4	2 × 8.0	चैन्नई, कर्नाटक
5	2 × 7.2	तमिलनाडु
6	2 × 6.2	आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल,महाराष्ट्र,पजांब,राजस्थान, यू.पी (पश्चिम),पश्चिम बंगाल
7	2 × 4.4	असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व, ओडिसा

4.1.3 उपभोक्ता आधार वृद्धि 2006–07 से 2009–10

मार्च 2007 तक 2.64 करोड़ के उपभोक्ता आधार के साथ, वोडाफोन ने भारती एयरटेल लि0 और सा क्षे उ (भा सं नि लि और मटेनिलि) की मिश्रित संख्या के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया। 2007–08 तक कम्पनी ने सभी 23 ला से क्षे में अपनी छाप छोड़ी और अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए देश में दूसरी सबसे बड़ी जी एस एम आधारित सैल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता बन गई। मार्च 2010 तक उपभोक्ता आधार 16 प्रतिशत की मार्किट भागीदारी के साथ 10.09 करोड़ तक बढ़ गया इसमें 2006–07 से 281 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाई गई थी।

4.1.4 वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड द्वारा अदा किये गये जीआर/कटौती/एजीआर तथा राजस्व शेयर पर वित्तीय डाटा

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्वयं आकलन आधारित प्रत्येक तिमाही को अपनी एजीआर की एक निश्चित प्रतिशतता लाइसेंस फीस और सेवा उपयोग प्रभार के रूप में देना आवश्यक है। वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड (वीआईएल) द्वारा 2006–07 से 2009–10 तक चार वर्षो के लिये दर्शाया गया संयुक्त जीआर और अदा राजस्व हिस्सेदारी निम्नानुसार है।

तालिका 4.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जी आर	कटौतियॉ	एजीआर	जी आर में एजीआर की प्रतिशतता	राजस्व हिस्सेदारी (एलएफ+एसयूसी)
2006-07	10399	1853	8545	82.17	1153
2007-08	16063	3713	12350	76.88	1606
2008-09	22217	5897	16320	73.46	2221
2009-10	25289	6695	18594	73.53	2399
कुल	**73968**	**18158**	**55809**	**75.45**	**7379**

(स्रोतः दू वि रिकार्ड)

4.2 वोडाफोन द्वारा जीआर के लेखांकन व रिपोर्टिंग का लेखापरीक्षा सत्यापन

जैसा कि पैरा 1.4 (क) में दर्शाया गया है, जीआर में सभी प्रकार के राजस्व बिना किसी सम्बन्धित व्यय मद इत्यादि को अलग करके सम्मिलित होगा।

आगे, जैसा कि यू ए एस एल समझौते के अनुलग्नक III में उल्लिखित है, सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) को सकल रूप में दर्शाया जायेगा और रियायत/छूट का विवरण अलग से दर्शाया जायेगा।

वोडाफोन के अभिलेखों और लेखाओं के ब्यौरों की लेखापरीक्षा जांच ने राजस्व को अभिलेखित करने और रिपोर्ट करने में लाइसेंस समझौतों की शर्तो के उल्लंघन के मामलों को दर्शाया। विभिन्न ला से क्षे में यह घटना समान रूप से नही थी, क्योंकि राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के उद्देश्य से लेखांकन राजस्व के लिये कोई एक समान प्रक्रिया नही थी।

- राजस्व से सम्बन्धित व्यय को अलग किया जाना
- जीआर में सभी श्रेणियों से अर्जित राजस्व को सम्मिलित नही किया जाना।

वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक वोडाफोन द्वारा जीआर गणना पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का ब्यौरा निम्नानुसार है। क्योंकि प्री–पेड और पोस्टपेड सेवाओं के लिये अलग जी एल कोड नही रखे गये इसलिये राजस्व को कम दर्शाने और राजस्व साझेदारी पर इसके प्रभाव को सेवा के अनुसार विभाजित नही किया गया।

4.2.1 डीलरों को कमीशन/रियायतों को प्री पेड व पोस्ट पेड राजस्व से अलग किया जाना

वोडाफोन अपने लाइसेंसयुक्त नेटवर्क में उपभोक्ता पहचान मोड्यूल (सिम) का उपयोग करके प्रीपेड और पोस्टपेड सेवायें प्रदान करता है। सिम, प्रीपेड रिचार्ज वाउचर,(ईसीवी) ई–टोप–अप इत्यादि की बिक्री खुदरा विक्रेताओं/एजेन्ट (डीलरों, फ्रैन्चाईजी और वितरकों) के माध्यम से होती है जिन्हें कम्पनी द्वारा रियायत प्रदान की जाती है। लाइसेंस शर्तो के अनुसार, जीआर में सिम/इ सी वी इत्यादि की बिक्री से प्राप्त राजस्व को अलग किये बिना शामिल किया जाना है।

निश्चित राजस्व लेखा शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट व्यय के कारण थे जिनका वर्णन सिम/आरसीवी (रिचार्ज वाउचर)/टाप अप कार्ड आदि की बिक्री से सम्बन्धित कमीशन,कटौती,रिटेलर, फ्रेन्चाइसी, डीलर, वितरकों को अतिरिक्त मार्जिन ट्रेड मार्जिन आदि के भुगतान के रूप में किया गया। सभी चार वर्षों के लिये विभिन्न राजस्व जीएल के अर्न्तगत उपरोक्त सभी डेबिट की पहचान राजस्व से घटायी गयी कुल राशि को सुनिश्चित करने के लिये की गई थी और यह देखा गया कि 2006–07 से 2009–10 के दौरान कुल ₹ 1352.75 करोड़ की राशि राजस्व से डेबिट की गई (परिशिष्ट 4.01 में वर्णन)। यहां पर यह वर्णन आवश्यक है कि उन प्रकरणों का ब्यौरा जहाँ राजस्व को कम्पनी के वित्तीय सिस्टम में घटाये जाने के बाद रखा गया, की पहचान नहीं की जा सकी, इसलिये लेखापरीक्षा केवल उन्ही लेन–देन की गणना कर सकी जहाँ ला से क्षे ने अपने लेखाओं में हस्तलिखित रूप में नामें में स्पष्ट वर्णन के साथ अभिलेखित किया था। यद्यपि कम्पनी को यह अपेक्षित था कि वह दू वि को एजीआर विवरण के साथ घटायी गयी राशि की रिपोर्ट करें फिर भी 2006–07 में सिवाय वी सी एल[4] के किसी ला से क्षे में रियायतों के रूप में घटायी गई राशि को नहीं दर्शाया।

प्रबन्धन ने बताया (मई/अगस्त 2015) कि कम्पनी वितरकों/डीलरों/फ्रेन्चाइजी जो कि अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं तथा उनके साथ व्यवस्थाओं पर निर्भर हैं, को जनवरी 2007 से सैद्धांतिक व्यवस्था के आधार पर नियुक्त करती है। प्राथमिक बिलिंग के समय उनको दी गई रियायतों को राजस्व के नामें डाला गया था। अपनायी गई लेखा नीति के अनुसार, कम्पनी को वास्तविक रोकड़ प्रवाह अर्थात केवल वितरकों द्वारा अदा की गई राशि को ही लाभ–हानि विवरण (पी एवं एल विवरण) में प्रेषित किया जाता है, न कि वितरकों/फ्रेन्चाइजी/डीलरों इत्यादि के माध्यम से बेचे गये उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य को। यह भी स्पष्ट किया गया कि फ्रेन्चाइजी को उत्पाद की बिक्री सहमत मूल्य पर थी और वही मूल्य लाभ–हानि विवरणी में दर्शाया गया है और किसी खर्च को अलग नही किया गया है तथा टी डी सैट ने अप्रैल 2015 के अपने निर्णय में पुष्टि की थी कि उन प्रकरणों में जहॉ सहमत मूल्य पर राजस्व को अभिलेखित किया गया हो वहां कोई खर्च अलग नही किया जा सकता। आगे यह सूचित किया गया कि टी डी सैट के निर्णय के विरूद्व, प्रचालकों और दूरसंचार विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दर्ज की गई है और इसलिये कम्पनी की उपरोक्त स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर आश्रित है।

प्रबन्धन के प्रत्युत्तर पर लेखापरीक्षा विचार को पैरा 3.2.1 (क) में स्पष्ट किया गया है। लेखापरीक्षा में दर्शाई गई राशि कम्पनी द्वारा फ्रेन्चाइजी/वितरकों इत्यादि को अदा की गई रियायत/कमीशन के रूप में वास्तविक राशि का केवल एक भाग है। लेखापरीक्षा द्वारा निकाले गये ला से क्षे के अनुसार, तथ्यों व आकड़ों की पुष्टि से तथा चार वर्षों में अपफ्रंट रियायतों/रियायत पर राजस्व से अनुमत मुक्त एअरटाइम के कुल मूल्य पर कमीशन के भुगतान सम्बन्धी ब्यौरा प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)। यद्यपि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि विक्रेताओं को दिया गया कमीशन/रियायत राजस्व से अलग था जोकि यूएएसएल समझौते से व्यतिक्रम में था और इसका परिणाम यह हुआ कि 2006–07 से 2009–10 की अवधि के दौरान ₹ 1352.75 करोड़ राजस्व कम बताया गया है इससे एलएफ व एसयूसी का भुगतान क्रमशः ₹ 119.59 करोड़ तथा ₹ 53.30 करोड़ कम हुआ **(अनुलग्नक 4.01)**

---

4 महाराष्ट्र और गोवा और तमिलनाडु, केरल ला से क्षे

4.2.2 उपभोक्ताओं को दी गई एअरटाइम छूट

वोडाफोन द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत ट्रायल बैलेंस की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि पोस्टपेड उपभोक्ताओं को दिये गये एअरटाइम छूट और प्री–पेड उपभोक्ताओं को दिये गये प्रोमोटॉकटाइम को एक राजस्व शीर्ष के नामे में डाला गया था। वर्ष के अन्त में इन शीर्षों में एक नामे शेष राशि निश्चित रूप से दिखानी चाहिये। इस प्रकार राजस्व जी एल कोड के अर्न्तगत नामे शेष मे इसका प्रभाव कुल राजस्व से अलग होगा। वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक चार वर्षों के लिये इस लेखा निष्पादन के कारण ₹ 444 करोड़ की राशि निकाल दी गई।

कम्पनी ने बताया कि पोस्टपेड एअरटाइम पर रियायत कुछ नहीं थी लेकिन उपभोक्ता द्वारा पोस्टपेड किराये के विरूद्ध उपयोग की गई राशि है। उदाहरण के रूप में यह बताया गया कि यदि एक उपभोक्ता ₹ 100 किराये के प्लान का विकल्प का चुनाव करता है और कम्पनी ₹ 100 का मुफ्त टाक टाइम पेश करती है, तब कम्पनी ₹ 100 का राजस्व किराया ₹ 100 उपयोग राजस्व और ₹ 100 एअरटाइम रियायत के रूप में बुक करेगी और राजस्व में कोई नामें में न डालेगी।

उपरोक्त उदाहरण के अनुसार ट्राई को प्रस्तुत टैरिफ प्लान के अनुसार किराये के विस्द्ध पोस्ट पेड उपभोक्ता को दिया गया मुक्त एअरटाइम न्यायोचित था। ट्राई को प्रस्तुत टैरिफ प्लान के अर्न्तगत प्री–पेड उपभोक्ताओं को प्रोमो टाक टाइम की राशि के लिये राजस्व शीर्ष के नामे रखना कवर नहीं किया गया तथा यह लाइसेंस समझौते के पैरा 3.2.1 (ख) के अनुरूप नही है। हालांकि प्रीपेड उपभोक्ताओं को दिया गया मुक्त एअर टाइम अलग नही किया जा सका क्योंकि कम्पनी ने दोनों को केवल एक राजस्व जी एल कोड में लेखित किया था।

4.2.3 अन्य प्रचालकों को इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक (आईओटी) को घटाने के कारण दिये गये रियायत/क्रेडिट पर रोमिंग राजस्व कम दिखाना

वोडाफोन के विभिन्न ला से क्षे द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व को ए जी आर विवरण की मद संख्या 3 के अंतर्गत रोमिंग सेवाओं से दर्शाया गया। रोमिंग राजस्व को लेखा में शामिल करने हेतु प्रचालित विभिन्न शीर्ष के अंतर्गत लेखा में शामिल राजस्व की समीक्षा पर रियायत के कारण डेबिट को प्रभावित पाया गया। ये रियायतें अंततः आकस्मिकता के प्रावधान (रोमिंग) के अंतर्गत जमा की गयी थी जो आगे अन्य प्रचालको से प्राप्त रोमिंग कमीशन से घटायी गयी थी। 2006–07 से 2009–10 तक चार वर्षों के दौरान ₹ 242.69 करोड़ जिसकी पुष्टि प्रबंधन द्वारा की गई है, राजस्व से खर्च की गई परिशिष्ट 4.02 में विस्तृत है।

इंगित करने पर प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि रोमिंग रियायतों के कारण राजस्व पहचान ए एस–9 के अनुरूप थी, जहां राजस्व को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि '' राजस्व वस्तुओं की बिक्री, सेवाए देने और अन्य द्वारा कम्पनी के संसाधन उपयोग करने से प्राप्त ब्याज, रॉयल्टी और लाभांश से प्राप्त रोकड़ प्राप्ति योग्य अथवा बिजनेस की सामान्य गतिविधियों से उत्पन्न रोकड़ का सकल प्रवाह है। राजस्व की गणना उपभोक्ताओं को दी गई वस्तुओं, प्रदान की गई सेवाओं पर प्रभार के रूप और उनके संसाधनों के उपयोग के लाभ में की जाती है''। इसी के अनुसार कम्पनी ने अर्न्तराष्ट्रीय प्रचालकों को अर्न्तराष्ट्रीय रोमिंग प्रभार पर दी गई रियायत को जीआर में शामिल नही किया क्योंकि इस प्रकार की रियायत राजस्व नही बल्कि

रोमिंग हिस्सेदारी को अर्न्तराष्ट्रीय रोमिंग ट्रैफिक की मात्रा पर सहमति के आधार पर दी गई रियायतें थी। इनकमिंग व आउट रोमिंग कॉल दोनों से राजस्व में दी गई/प्राप्त की गई रियायत को अलग किया गया। यह भी बताया गया कि टीडी सैट ने अपने अप्रैल 2015 के निर्णय में कहा था कि रियायतों को राजस्व में जोड़ना है और कम्पनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसके विरूद्ध अपील दायर की है।

प्रबधंन के उत्तर पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को पैरा संख्या 3.2.3 में स्पष्ट किया गया है। आगे प्रबन्धन द्वारा ए एस 9 के अनुसार राजस्व की पहचान के संबंध में बताया गया कि लेखापरीक्षा कम्पनी द्वारा अपनाये गये लेखा तरीको पर नहीं परन्तु लाइसेंस फीस के उद्देश्य से लाइसेंस समझौते के अर्न्तगत राजस्व को सम्बन्धित व्यय से घटाये बिना सकल रूप में पहचानने की चुनौती देती है। यद्यपि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि रोमिंग राजस्व से अर्न्तराष्ट्रीय रोमिंग हिस्सेदारों को दी गई रियायत घटाई जोकि लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन था।

प्रबधंन द्वारा स्वीकृत राशि को ध्यान में रखते हुए एलएफ और एसयूसी क्रमशः ₹ 23.07 करोड़ तथा ₹ 10.23 करोड़ का रोमिग छूट पर कम भुगतान किया गया। विस्तृत विवरण **अनुलग्नक 4.02** मे है।

4.2.4 फुल पे फुल, फुल टाक टाइम इत्यादि स्कीमों के राजस्व से सेवाकर घटाये जाने के कारण जीआर को कम दिखाया गया

जब प्री–पेड कार्ड पर वैधता को रिचार्ज के माध्यम से बढ़ाया जाता है तब सम्भवतः अस्थिर उपभोक्ता आधार को बनाये रखने के लिये, उपभोक्ताओं को 'फुल पे फुल/फुल टाक टाइम' इत्यादि स्कीमों के माध्यम से, अतिरिक्त टाक टाइम दिया जाता है। कम्पनी के राजस्व पहचान नीति के तहत, रिचार्ज कूपनों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को सेवाकर निकालने के पश्चात माना गया और अगर किसी स्कीम के भाग के रूप में उपभोक्ताओं को मुफ्त एयर टाइम दिया जाता तो वह सेवाकर घटक कम्पनी द्वारा वहन किया जाता। उदाहरण के लिये, ₹ 120 के रिचार्ज में उपभोक्ता को ₹ 120 का टाक टाइम मिलता जब कि अन्य सामान्य प्लान में रिचार्ज मूल्य से सेवा कर (से क) घटक घटा लिया जाता। इस प्रकार स्पष्ट रूप से, यद्यपि पूर्ण टाक टाइम देने पर सेवाकर का दायित्व कम्पनी द्वारा वहन किया गया था।

यह देखा गया था कि (फुल पे फुल, फुल टाक टाइम इत्यादि) स्कीमों से प्राप्त राजस्व, जहाँ प्रयोक्ताओं को मुफ्त एफएटी दिया गया था, सेवाकर (से क) के दायित्व को आउटगोइंग कॉल/एसेस राजस्व से घटा दिया गया था और एफएटी के कारण राजस्व की पहचान जीआर में नहीं की जा रही थी। यह यूएएसएल लाइसेंस समझौते के खण्ड 19.1 के अनुसार नही था। सेवाकर को राजस्व से घटाना और दी गई सेवाओं के लिये इसकी पूर्ण प्राप्ति को जीआर में नही शामिल करना यह भुगतान किये गये सेवाकर में कम बताये गये राजस्व के समान है और इसके परिणामस्वरूप सरकारी देयों का कम भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा जांच पर वोडाफोन प्रबन्धन ने बताया कि कम्पनी चुनिंदा उपभोक्ताओं को विभिन्न मार्केटिंग स्कीमों के अनुसार पूरा टाक टाइम देती है और इन स्कीमों के बारे में ट्राई को सामान्यतः सूचित किया गया था। उन मामलों में जहाँ पूरे टाक टाइम की पेशकश की जाती है, उपभोक्ता को रिचार्ज के पूरे मूल्य पर टाक टाइम मिलता है और राजस्व को, रिचार्ज के मूल्य से सेवाकर के प्रावधान रखने के पश्चात, रिकार्ड किया जाता है। उपभोक्ता को पेश किया गया टाक टाइम इन मामलों में प्रासंगिक नही था क्योंकि उपभोक्ता से प्राप्त राशि को लेखाओं में उसी रूप में रिकार्ड कर राजस्व में शामिल किया गया था और उस पर सेवाकर का भुगतान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि लेखापरीक्षा का विचार है कि प्रयोक्ता द्वारा प्राप्त किये गये टाक–टाइम की कीमत को काल–राजस्व के रूप में लेना चाहिये था, और यह स्वीकार करना कि राजस्व घटक को सेवाकर के प्रावधान के बाद माना गया इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सेवा कर में व्यय कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिये प्राप्त राजस्व से सेवाकर को घटा दिया गया। इस प्रकार कम्पनी द्वारा समाविष्ट सेवा कर अलग किया गया राजस्व था क्योंकि इसे अंतिम प्रयोक्ता से वसूल किया गया था। लेखापरीक्षा चार वर्षों के दौरान 12 ला से क्षे में राजस्व डेबिट द्वारा भुगतान करके सेवा कर की राशि की पहचान कर सकती थी और यह ₹ 222.54 करोड़ बनती थी परिणाम यह हुआ एल एफ व एसयूसी का संग्रहण क्रमशः ₹ 18.45 करोड़ व ₹ 9.27 करोड़ कम हुआ **(अनुलग्नक 4.03)**

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा में गणना की गई कम राशि की पुष्टि की थी (दिसम्बर 2015)।

4.2.5 अवसंरचना साझेदारी को पूर्ण रूप से राजस्व में शामिल न करने के कारण जीआर को कम दिखाया गया

जैसाकि पैरा 1.4 (क) में वर्णित है, जीआर अनुमत अवसंरचना साझेदारी से राजस्व और अन्य विविध राजस्व जिसमें सम्बन्धित व्यय मद को घटाया नहीं गया हो शामिल होगें।

लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि 2006–07 से 2009–10 में चार वर्षों के दौरान, वोडाफोन ने सेल साईट साझेदारी राजस्व के ₹ 807 करोड़ के इनवायस बनाये लेकिन इन वर्षों के लिये केवल ₹ 253 करोड़ की राशि एजीआर में शामिल की गई जिसके कारण जीआर ₹ 554 करोड़ कम दर्शाया गया। लेखापरीक्षा ने केवल उन्हीं ला से क्षे के राजस्व साझेदारी राशि की गणना की है जहां लेखा सिस्टम में इनवायस का ब्यौरा स्पष्ट रूप से उपलब्ध था। उन लेखों में अवसंरचना को किराये/लीज से प्राप्त आय को ओपेक्स से प्राप्त नेट राशि के रूप में दर्शाया गया था।

वोडाफोन प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2015) कि कम्पनी ने अवसरंचना सुविधाओं की साझेदारी हेतु अन्य दूरसंचार प्रचालको के साथ व्यवस्था की है और उन सुविधाओं को चलाने और रखरखाव पर किये गये प्रचालन व्यय को वोडाफोन व अन्य प्रचालक सांझा करते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य अवसंरचना सुविधाओं के प्रचालन पर लागत को वहन करना है और इसलिये अन्य प्रचालकों से प्राप्त राशि प्रचालन व्यय पर उनके द्वारा किया गया योगदान है अतः उसे राजस्व नहीं माना जा सकता। कापेक्स के कारण मिली राशि को जीआर में शामिल किया गया है। यह भी बताया गया कि टीडी सैट ने अपने अप्रैल 2015 के निर्णय में माना था कि प्रतिपूर्तियों को राजस्व में शामिल नहीं करना था। टीडी सैट निर्णय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दर्ज होने के कारण यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

निम्नलिखित के दृष्टिकोण को देखते हुए प्रबन्धक का उत्तर मान्य नहीं था।

- लाइसेंस समझौते के अनुसार, जीआर अवसंरचना की अनुमत साझेदारी से राजस्व विशेष रूप से शामिल करता है, इसमें व्यय व लाइसेंस समझौते की सम्बन्धित मद के लिये किसी प्रकार की कमी नही की जाती है, कापेक्स व ओपेक्स के मध्य अवसंरचना साझेदारी राजस्व में कोई अंतर नहीं किया जाता है। अतः व्यय के विरूद्ध अवसंरचना साझेदारी से राजस्व कम करना अनुमत नहीं किया जाता है। डीजल व्यय, सुरक्षा व्यय, मरम्मत व अनुरक्षण व्यय तथा विद्युत प्रभारों में राजस्व की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी क्योंकि इनका वहन इस बात का ध्यान रखे बिना कि टावर का शेयर किया गया है अथवा नहीं, करना पड़ा था। वास्तव में, व्यय को साझा करके, कम्पनी को अतिरिक्त आय से लाभ हुआ था।

- इसके अतिरिक्त, यह ध्यान दिया गया था कि दू वि ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 को टी डी सैट निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की थी, जैसा कि उत्तर में संदर्भित था। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि यू ए एस एल अवसंरचना साझेदारी राजस्व से ओपेक्स में कमी करके खंड 19.2 के अन्तर्गत जो अनुमत किया गया था उसके अतिरिक्त राजस्व में किसी प्रकार की रियायत अनुमत नही करता है जोकि यूएएसएल समझौते के अनुरूप नहीं था।

प्रबन्धन ने सूचित किया (दिसम्बर 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों में ओपेक्स प्रतिपूर्ति की राशि ₹ 514.49 करोड़ थी और प्रबन्धन एवं लेखापरीक्षा द्वारा निकाली गई राशि में मिलान न होने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा सेवाकर को सम्मिलित करना था। सेवाकर को शामिल करने का तथ्य स्वीकार कर लिया गया और उत्तर के विश्लेषण में यह देखा गया था कि प्रबन्धन द्वारा मानी गई राशि ₹ 21.78 करोड़ कम थी क्योंकि एक ला से क्षे (उ प्र पश्चिम) में सूचना शामिल नहीं की गई थी। इस प्रकार जीआर में आ. पेक्स की 536.27 करोड़ की राशि को शामिल नही किया गया परिणामस्वरूप एलएफ और एस यू सी का क्रमशः ₹46.90 करोड़ और ₹ 21.02 करोड़ का कम भुगतान हुआ जैसा कि **अनुलग्नक 4.04** में वर्णित है।

4.2.6 जीआर/एजीआर के लिये फोरेक्स लाभ से राजस्व कम बताना

लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि कम्पनी पाँच लेखा शीर्षों के अन्तर्गत अपने लाभ/हानि का हिसाब करती थी। (चार राजस्व शीर्ष व एक व्यय शीर्ष में)। ट्रायल बैलेंस की लेखापरीक्षा संवीक्षा, लेखापरीक्षित एजीआर विवरण, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन, लेखा/विवरणों में टिप्पणियाँ तथा राजस्व समाधान विवरण आदि से पता चला कि कम्पनी के भिन्न ला से क्षे ने अपने फोरेक्स लेन–देन का रिकार्ड करने में विभिन्न तरीकों का पालन किया जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गयाः

- केवल राजस्व समाधान विवरण में निवल लाभ अथवा हानि की राशि दर्शाई थी।
- आय की विभिन्न प्रकारों अर्थात, विविध आय, कोई अन्य आय आदि के अर्न्तगत निवल फोरेक्स हानि एजीआर में डेबिट की थी।
- एजीआर में निवल राशि दर्शाई थी जिसमें यदि प्रकरण का सीधा प्रभाव राजस्व शेयर भुगतान पर होता।

2006–07 से 2009–10 के दौरान विविध ला से क्षे द्वारा वसूला गया विदेशी विनिमय लाभ ₹ 155 .44 करोड़ था लेकिन इन वर्षों में, ये लाभ राजस्व हिस्सेदारी के लिये नहीं दिये गये थे। लेखापरीक्षा प्रत्येक मद के मूल मूल्य के न होने पर, प्रतिवर्ष वसूले गये लाभ के अन्तर्गत मदों के वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं कर सकी। जैसाकि पैरा 3.2.5 में दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने निवल लाभ पर विचार किया है, लेखा अनुसार व ला से क्षे अनुसार शीर्ष से लेखापरीक्षा के लिये यह सम्भव नहीं था कि उपलब्ध डेटा से केवल लाभ के आंकड़ों को अलग किया जाये/एकत्र किया जाये। वोडाफोन प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि :

- विदेशी विनिमय में उतार–चढ़ाव से आय वैचारिक प्रकृति की थी राजस्व की नही। लेखांकन मानक मे यह वैचारिक लाभ अथवा हानि फोरेक्स उतार–चढ़ाव में अपेक्षित हैं जिनका हिसाब वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है ताकि तुलन पत्र की तारीख में कम्पनी का लाभ/हानि सही बताया जा सके। यह पुनः बताया गया है कि परामर्शदाता के कारण प्रचालन व्यय जैसे लागत अथवा क्रय की मदों उपस्कर

का क्रय अथवा विदेशी मुद्रा में लिये गये ऋण के सम्बन्ध में, विदेशी मुद्रा के कारण उतार–चढ़ाव राजस्व का भाग नही होता है, अंततः इस प्रकार के उतार–चढ़ाव के कारण लागत अथवा क्रय कीमत में वृद्धि अथवा कमी हुई और यह राजस्व से सम्बन्धित नही है।

- टीडी सैट (अप्रैल 2015) ने निर्णय दिया कि फोरेक्स लाभ एजीआर में शामिल नही किये जाने है।

  प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नही था और राजस्व शेयर के लिये फोरेक्स लाभ की विवेचना पर लेखापरीक्षा का विचार इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 3.2.5 में बताया गया है। लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि दू वि ने अप्रैल 2015 के टी डी सैट के निर्णय के विरूद्ध अपील की थी। यद्यपि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि राजस्व के भुगतान के लिये फोरेक्स लाभ परिकलित जीआर का भाग होना चाहिये क्योंकि यह यू ए एस एल समझौते में दी गई जीआर की विस्तृत परिभाषा में आता है।

  लाइसेंस शर्तों से अंतर के कारण एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः 14.19 करोड़ ₹ व 6.12 करोड़ ₹ कम हुआ। **(अनुलग्नक 4.05)**

4.2.7 वेवर के रूप में राजस्व से डेबिट–सद्भावना वेवर, रिबेट आदि

वोडाफोन के राजस्व की समीक्षा से डेबिट का पता चला, जो कि 'एसेस फीस', मदवार बिलिंग किराया, कॉलर ट्यून किराया आदि के अंतर्गत प्राप्त राजस्व से 'वेवर' के कारण था जिससे राजस्व कम बताया गया। लेखापरीक्षा कवरेज के अन्तर्गत चार वर्षों में, ग्यारह ला से क्षे[5] में राजस्व से ₹ 105 करोड़ की राशि का घटाव देखा गया है।

वेवर एक प्रलोभन अथवा अनुपूरक लाभ है जो कम्पनी/सेवा प्रदाता के प्रबन्धन द्वारा ग्राहक/अभिदाता जोकि वांछित कार्रवाई अथवा व्यवहार के लिये प्रेरणाकारक साधन के रूप में कार्य करता है, को दिया जाता है। यह दरों में रियायत, देयों की प्रतिशतता के वेवर के रूप में हो सकता था। जीआर से इस प्रक्रिया में पूर्वगत राजस्व लाइसेंस करार की शर्तों से अंतर था। प्रबन्धन ने पुष्टि की (दिसम्बर 2015) कि वेवर में मात्र ₹ 7.87 करोड़ का घटाव था, लेकिन राशि के वर्ष अनुसार/ला से क्षे अनुसार विवरण लेखापरीक्षा को दिये गये थे। यह भी सूचित किया गया था कि लेखापरीक्षा में इंगित वेवर बिलिंग विवादों से सम्बन्धित थे तथा इन्हें राजस्व में नहीं जोड़ा गया था। टीडी सैट ने भी निर्णय दिया था कि यदि एक उपभोक्ता का बिल गलत बनाया जाता है, तो इस प्रकार के गलत बिलिंग के लिये दी गई रियायत बिल का संशोधन होती है और इसीलिये जीआर का भाग नहीं हो सकती है।

तर्कसंगत है कि सभी वेवर जो गलत बिलिंग के कारण थे, लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये हैं क्योंकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्शाये गये लेन–देन के विवरण का कोई केस बिलिंग त्रुटि का उल्लेख नहीं करता है। दूसरे लेखाओं में राजस्व से वेवर में रियायत नही की जानी चाहिये जैसाकि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 3.2.2 में बताया गया है। विभिन्न जी एल कोड से वेवर को अलग किये जाने से एल एफ व एस यू सी में क्रमशः ₹ 0.63 करोड़ तथा ₹ 0.31 करोड़ का भुगतान कम हुआ **(अनुलग्नक 4.06)**। वर्ष अनुसार/ला से क्षे अनुसार विवरण न होने से, लेखापरीक्षा ने ला से क्षे जहां सम्बन्धित वर्षों के लिये जीआर के लिये आनुपातिक कमी देखी गई थी, में प्रबन्धन द्वारा राशि का

5 ला से क्षे में, जी एल कोड में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल 'वेवर' को शामिल किया गया है। इसलिये घटाई गई राशि को पूर्ण नहीं माना जा सकता है।

विभाजन करके लेखापरीक्षा ने एल एफ व एस यू सी का परिकलन किया। दू वि ₹ 97.13 करोड़ की शेष राशि के लिये पीएसपी से विवरण प्राप्त कर सकता है, जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि राजस्व शेयर का भुगतान कम नही हुआ है।

4.3 सकल राजस्व में अन्य आय शामिल नहीं

ट्रायल बैंलेस के साथ समाधान विवरण की समीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा तैयार लेखा में लेखापरीक्षित एजीआर विवरण व टिप्पणियाँ जोकि लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की गई थी तथा वर्ष 2006–07 से 2009–10 के लिये सभी ला से क्षे के प्राथमिक लेखांकन अभिलेखों से उनका मिलान कार्य से यह दर्शित हुआ कि कम्पनी के लेखाओं में दर्शाई गई कुछ श्रेणियों के तहत आय जीआर/एजीआर के परिकलन तथा राजस्व शेयर के भुगतान के लिये विचारित नहीं की गई थी।

यद्यपि ये राजस्व, राजस्व शेयर के भुगतान के लिये जीआर का भाग होने चाहिये, समाधान विवरण में इन्हें अलग से शामिल किया गया था, इससे राजस्व शेयर का परिहार्य भुगतान हुआ, इस प्रकार, आय अलग कर दी गई जैसाकि नीचे चर्चित है:

4.3.1 ब्याज आय

वोडाफोन ने विभिन्न लेखा शीर्षों में ब्याज आय का हिसाब दिया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि वोडाफोन ने वर्ष 2006–07 में जीआर/एजीआर में पूर्ण ब्याज आय शामिल की थी लेकिन 2007–08 व 2008–09 के दौरान, आय जीआर में केवल आंशिक रूप से प्राप्त की गई थी। 2009–10 में इस लेखा में आय एलएफ/एसयूसी के भुगतान के लिये बिल्कुल भी शामिल नहीं की गई थी। वर्ष 2006–07 से 2009–10 के दौरान चार वर्षों में, जीआर/एजीआर में असम्मिलित ब्याज आय का हिसाब ₹ 2741.37 करोड़ बनता था।

वोडाफोन प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि कम्पनी का विचार था कि इंटर कारपोरेट लोन में ब्याज व लघु अवधि जमा में बैंक से ब्याज को सेवा से अर्जित राजस्व नहीं माना जा सकता है। मामला विचाराधीन था (सितम्बर 2015) क्योंकि कम्पनी ने टी डी सैट निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की थी (अप्रैल 2015) जिसमें कहा गया कि ब्याज आय राजस्व में जोड़नी चाहिए थी।

वोडाफोन प्रबन्धन ने स्वीकार किया था (दिसम्बर 2015) कि ₹ 2741.37 करोड़ के विरूद्ध ₹ 2738 करोड़ की ब्याज आय राजस्व शेयर के लिये नहीं दी गई थी जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। तथापि, प्रबन्धन ने भिन्नता का ब्यौरा आंकड़ों में नहीं दिया था जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था तथा इसकी पुष्टि कर दी थी। लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में, लाइसेंस समझौता स्पष्ट तौर पर यह प्रावधान देता है कि राजस्व शेयर के परिकलन के लिये जीआर/एजीआर हेतु ब्याज आय का समावेशन किया जाये। ₹ 2741.37 करोड़ की ब्याज आय को सम्मिलित न करने के कारण एल एफ पर प्रभाव ₹ 250.73 करोड़ था तथा एस यू सी पर प्रभाव ₹ 105.30 करोड़ था **(अनुलग्नक 4.07)।**

यद्यपि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि यूएएसएल की शर्तों के अनुसार ब्याज आय कम्पनी की जीआर का भाग होना चाहिये।

4.3.2 स्थिर सम्पत्ति के लाभ पर प्राप्त आय जी आर में शामिल नहीं की गई

लेखापरीक्षा ने ला से क्षे अनुसार लेखा पुस्तकों[6] से विचार किया कि वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान वोडाफोन द्वारा 'स्थिर सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ' पर विचार सम्बन्धित वर्षों में जीआर/एजीआर के परिकलन के लिये नहीं किया गया था तथा 'राजस्व समाधान विवरण' में केवल रिपोर्ट की थी। इसके अतिरिक्त, श्रेणी के अन्तर्गत बिक्री से निवल हानि आय के रूप में ली गई थी उन प्रकरणों में जहां हानि किसी वर्ष लाभ से अधिक हो गई थी वहां लाभ को जीआर में शामिल नहीं किया गया था। वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान कुल 'स्थिर सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ' प्राप्त हुआ था लेकिन राजस्व शेयर के भुगतान के लिये विचार नहीं किया गया था जोकि ₹ 200.81 करोड़ बनता था।

वोडाफोन प्रबन्धन ने बताया कि वित्तीय में, वर्ष के दौरान बड़ी सम्पत्ति की बिक्री पर निवल लाभ अथवा हानि को एक निवल मद के रूप में दर्शाया गया था तथा यदि कोई लाभ था तो वह बड़ी सम्पत्ति की प्रकृति का था। यह भी बताया गया था कि टी डी सैट ने अप्रैल 2015 के अपने निर्णय में कम्पनी के विचार की पुष्टि की थी। प्रबन्धन ने पुष्टि की (दिसम्बर 2015) कि ₹ 200.76 करोड़ की राशि पर विचार नहीं किया गया था यद्यपि राजस्व शेयर भुगतान के लिये जीआर परिकलित किया गया था जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। तथापि, प्रबन्धन ने भिन्नता का विवरण आंकड़ों में नहीं दिया।

कम्पनी की राय स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि:

- जिस स्रोत से सम्पत्ति क्रय की गई थी, में लाइसेंस करार की शर्तों के सन्दर्भ में कोई सम्बंध नही है।
- लाइसेंस करार में जीआर की परिभाषा स्पष्ट तौर पर यह बताती है कि राजस्व शेयर के परिकलन के लिये जीआर/एजीआर में विविध आय का समावेशन किया जाये।
- 23 अप्रैल 2015 के टी डी सैट निर्णय के सम्बंध में, दू वि ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के विरूद्ध एक अपील दायर की है।

यद्यपि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि यूएएस लाइसेंस शर्तों के अनुसार स्थिर सम्पति की बिक्री से लाभ जीआर का एक भाग होना चाहिये।

जीआर में स्थिर सम्पति की बिक्री से लाभ पर विचार न करने से एल एफ व एस यूसी में भुगतान क्रमशः ₹ 19.45 करोड़ व ₹ 8.72 करोड़ कम हुआ **(अनुलग्नक 4.08)**।

4.4 जीआर से कम किया गया अप्राप्य ऋण

2007–08 से 2009–10 के दौरान प्रस्तुत एजीआर विवरण की समीक्षा में यह देखा गया था कि अप्राप्य ऋण के कारण रियायत का दावा किया जा रहा था और इस प्रकार की रियायत के बाद प्राप्त केवल एजीआर में राजस्व शेयर का भुगतान किया जा रहा था।

राजस्व से रियायत दी गई अप्राप्य ऋण की कुल राशि ₹ 311.91 करोड़ थी इसमें एल एफ में ₹ 29.55 करोड़ तथा एस यू सी में ₹ 13.02 करोड़ का विपरीत प्रभाव था जिसका भुगतान तीन वर्षों के लिये किया गया था **(अनुलग्नक 4.09)**

6 कम्पनी ट्रायल बैलेंस, लेखापरीक्षित एजीआर विवरण, लेखों/विवरणियों में टिप्पणियां तथा राजस्व समाधान विवरण आदि।

जीआर/एजीआर की परिभाषा व्यय में रियायत जोकि बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण के कारण है, की अनुमति नहीं देती है।

प्रत्युत्तर में कम्पनी ने बताया कि:

- लाइसेंस करार के तहत अप्राप्य ऋण एजीआर में जोड़े जाने हेतु अपेक्षित नहीं है। अप्राप्य ऋण ऐसी आय दर्शाता है जो प्राप्त नहीं हुई है और जो वैचारिक प्रकृति की है तथा इसीलिये राजस्व के रूप में विचारित नहीं हो सकती है।
- टी डी सैट ने बताया था कि (अप्रैल 2015) अप्राप्य ऋण राजस्व में जोड़े जाने हैं तथा कम्पनी ने टी डी सैट के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि:

- लाइसेंस करार एजीआर में प्राप्ति के लिये जीआर से अप्राप्य ऋण की रियायत नहीं देता है।
- यद्यपि कम्पनी ने टीडी सैट के निर्णय के विरूद्ध एक अपील दायर की थी तथा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। लेखापरीक्षा का विचार है कि चूँकि लाइसेंस करार एजीआर से अप्राप्य ऋण में रियायत देकर, जीआर से केवल तीन रियायत की अनुमति देता है जोकि लाइसेंस शर्तों के अनुरूप नहीं थी।

4.5 सहायक कम्पनी को सम्पत्ति का हस्तांतरण

वोडाफोन इस्सार इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वी ई आई एल) को 2007 में वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व सहायक के रूप में निगमित किया गया था। वी ई आई एल का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार ऑपरेटरों को अवसंरचना सेवा प्रदान करना था इसमें निर्माण, निष्क्रिय अवसंरचना सम्पत्ति की लीजिंग व अनुरक्षण शामिल है। विविध न्यायिक उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमोदित व्यवस्थाओं की योजना के अनुसार, वोडाफोन ईस्ट लिमिटेड (वी ई एल) (20 अक्तूबर 2009), तथा वोडाफोन सेल्यूलर लिमिटेड (वी सी एल) (17 नवम्बर 2009), इन दोनों कम्पनियों की निष्क्रिय अवसंरचना सम्पत्ति बिना किसी विचार विमर्श के वी ई आई एल को हस्तांतरित की गई थी।

योजना की नियुक्ति तारीख अप्रैल 2009 से थी। यद्यपि दोनों कम्पनियों के लिये सम्पत्ति के हस्तांतरण की प्रभावी तारीख नवम्बर 2009 थी, वी सी एल, वी ई एल व वी ई आई एल के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार 2009–10 के वार्षिक लेखे में निष्क्रिय अवसंरचना के हस्तांतरण का वित्तीय प्रभाव दिखाई नहीं दिया था।

इसके अतिरिक्त, वी ई आई एल को हस्तांतरित सम्पत्ति का पुर्नमूल्यांकन 31 मार्च 2010 को किया जाना था जैसाकि वी ई आई एल के वार्षिक प्रतिवेदन से देखा गया है। 31 मार्च 2010 को हस्तांतरित सम्पत्ति के गैर मूल्यांकन के कारण फेयर वैल्यू (पुर्नमूल्यांकन के बाद) तथा बुक वैल्यू के बीच भिन्नता का पता नहीं लगाया जा सकता था जैसाकि बी ए एल प्रकरण में था (पैरा संख्या 3.5)। ऐसा न होने पर, सम्पत्ति के हस्तांतरण में पूर्वगत लाभ जो वी ई एल व वी सी एल में उपचित हो गया था, पता नहीं लगाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण में शून्य का विचार जानबूझकर किया गया लेन–देन नहीं था।

लेखापरीक्षा विवरण के अभाव में एल एफ व एस यू सी के परिकलन में सम्पत्ति के हस्तांतरण के प्रभाव में शून्यता के विचार को ज्ञात नहीं कर सकी।

4.6 राजस्व शेयर के कम भुगतान पर ब्याज

जैसा कि उपरोक्त मामलों में उल्लिखित है (पैरा 4.2 से 4.5) एल एफ व एस यू सी का कम/गैर भुगतान क्रमशः ₹ 522.56 करोड़ व ₹ 227.29 करोड़ बनता था। एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज ₹ 915.54 करोड़ है (परिशिष्ट 4.10)। ब्याज की गणना लाइसेंस करार में निर्धारित दर के आधार पर की गई थी अर्थात वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक आफ इंडिया की मौजूदा मूल उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक तथा गणना के लिये विचारित अवधि मार्च 2015 तक सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से थी। लाइसेंस शर्तों के अनुसार ब्याज मासिक मिश्रित किया गया है।

4.7 लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लिये दू वि का प्रत्युत्तर

अगस्त 2015 में वोडाफोन इंडिया द्वारा दू वि को राजस्व के हिस्सेदारी पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां बताई गई थी। दू वि ने उत्तर में बताया (जनवरी 2016) कि डीलरों को कमीशन/रियायत से सम्बन्धित पैरों में इंगित किये गये के अनुसार, जीआर कम बताने के लिये मांग जोकि राजस्व से अलग की गई थी (4.2.1), उपभोक्ताओं को एयर टाइम रियायत पर जीआर कम बताई गई (4.2.2), अन्य ऑपरेटर को इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक रियायत का भुगतान अलग करने के कारण रोमिंग राजस्व कम बताया जाना (4.2.3), पूर्ण अवसंरचना हिस्सेदारी से राजस्व के गैर समावेशन के कारण जीआर कम बताना (4.2.5), फोरेक्स लाभ से जीआर/एजीआर में राजस्व/आय के गैर समावेशन के कारण राजस्व कम बताना (4.2.6) तथा 2006–07 व 2007–08 के लिये 2012 में पीएसपी में ब्याज आय बढ़ा दी गई थी (4.3.1), 2009 में की गई विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित थी। लेकिन 2012 में टीडी सैट में ऑपरेटर द्वारा मांग पर चुनौती दी गई है। मामला विचाराधीन है। यह भी बताया गया था जब कभी भी कार्रवाई की जायेगी, न्यायालय का अंतिम निर्णय घोषित कर दिया जायेगा।

इस प्रकार, दू वि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों पर सहमत था। तथापि, इसने मामलों के विचाराधीन होने के कारण, वोडाफोन इंडिया से राजस्व वसूलने में अपनी असर्मथता बताई। इस पर विचार करते हुये कि मुकद्मेबाजी के कारण सरकारी राजस्व की वास्तविक राशि कई वर्षों के लिये अवरूद्ध हो गई है, दू वि को बहुत शीघ्र ही इन कानूनी मामलों का निपटान करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये।

सी ए जी द्वारा बताई गई राशि में विभिन्नता पर दू वि ने भी इंगित किया था तथा दू वि द्वारा की गई मांग उत्तर में विशेष लेखापरीक्षा का परिणाम है। ये विभिन्नतायें राजस्व कम बताये जाने में स्वीकृत कार्यपद्धति में भिन्नताओं के कारण थी। लेखापरीक्षा ने निश्चय किया कि वह 2006–07 से 2009–10 के लिये वोडाफोन इंडिया के बही खातों में सुनिश्चित वर्णन के माध्यम से वास्तविक प्रविष्टियों के आधार पर पहचानी गई राशियां कम बताये। तथापि, सी ए जी लेखापरीक्षा द्वारा विशेष लेखापरीक्षकों के कार्यचालन कागजात के ब्यौरे नही देखे गये थे।

इस प्रतिवेदन के पैरा 4.2.4 व 4.2.7 के सम्बंध में, योजनायें जैसे 'फुल पे फुल,' 'फुल टाक टाइम' आदि में राजस्व से सेवाकर अलग करने के कारण तथा राजस्व जैसे सद्भावना वेवर, छूट आदि से डेबिट के कारण जीआर कम बताने के सम्बंध में, दू वि ने बताया कि इसने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कम्पनी का उत्तर मांगा है तथा उनकी जांच के बाद कार्रवाई की जायेगी।

स्थिर सम्पत्ति की बिक्री के लाभ पर प्राप्त आय में पैरा 4.3.2 के तहत उल्लिखित लेखापरीक्षा टिप्पणी जी. आर में शामिल नही है, यह बताया गया था कि सात ला से क्षे के सम्बंध में मांग की गई है और ऑपरेटर को जारी करने की प्रक्रिया में है तथा शेष परिमंडलों के लिये मांग शीघ्र की जायेगी।

जीआर से अप्राप्य ऋण में रियायत पर पैरा 4.4 में, दू वि ने बताया कि सी ए जी प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि अप्राप्य ऋण के कारण राजस्व तथा लाइसेंस विवरण में रियायत अनुमत नहीं की गई है। दू वि सत्यापन के समय इस प्रकार की रियायतों की अनुमति नहीं देता है तथा राशियों के इस प्रकार के दावों को मूल्यांकन के समय जीआर/एजीआर में जोड़ा जा रहा है।

निष्क्रिय अवसंरचना के स्थानांतरण से सम्बंधित पैरा (4.5), दू वि से उत्तर प्रतीक्षित था।

दू वि ने यह भी बाताया कि 2002–03 में टी एस पी द्वारा जीआर व एजीआर की मूल परिभाषा को चुनौती दी गई थी। तभी से, दीर्घकालिक मुकद्मेबाजी रही है और जो आज तक जारी है। कुछ लाइसेंसधारकों ने भी विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लिखित याचिका दायर की है (2012 में) संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत लिखित क्षेत्राधिकार बताते हुये (इनवोकिंग) तथा भारतीय तार अधिनियम 1985 की धारा 4 को चुनौती दी गई है जोकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व 19 (।)(छ) का उल्लंघन है। सी सी ए कार्यालयों द्वारा रियायत सत्यापन की प्रक्रिया तथा दू वि मुख्यालय द्वारा एल एफ मूल्यांकन कार्य इसके कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। दू वि ने स्वीकार किया कि ऑपरेटर से देय राजस्व हिस्सेदारी के मूल्यांकन में अनगित विवाद विलम्ब का कारण रहे हैं।

दू वि का उत्तर यह प्रमाणित करता है कि यद्यपि राजस्व हिस्सेदारी रिजीम एन टी पी 1999 के भाग के रूप में शुरू किया गया था, विभाग क्रियान्वयन के 16 वर्षों से अधिक समय के बाद भी अपना देय राजस्व हिस्सेदारी वसूलने में समर्थ नहीं है जैसाकि लाइसेंस करार में बताया गया है।